# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक / 4270 / मान्यता / नवीन मान्यता / 2026–27 कबीरधाम, दिनांक 18 / ~~07~~ 06 / 2026

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव,
श्री रामकृष्ण शिक्षण समिति कवर्धा
जिला कबीरधाम

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम के 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

–––000–––

आपके तारीख 09.04.2026 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मै श्री रामकृण पब्लिक स्कूल बिलासपुर रोड, सिंघनपुरी कवर्धा, अंग्रेजी माध्यम विकास खण्ड कवर्धा को 16.06.2026 से तारीख 30.04.2028 तक की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए अनंतिम नवीन मान्यता प्रदान करने कि संसूचना देता हुँ ।

**उपरोक्त मंजुरी निम्नालिखित शर्तो के पूर्ण किये जाने के अधीन है :–**

1. मान्यता के मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8वी के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे ) उस कक्षा मे बालको कि संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहिन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और इन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विघालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरंक्षक को किसी स्केनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विघालय किसी बालक को उसकी उम्र का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा। विघालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

(एक) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(दो) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी हाने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी

(चार) प्राथमिक शिक्षा, पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण– पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(पांच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छैः) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताऐं नही है ,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें ।

(सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।

(आठ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें ।

...........2.......

7. .विघालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
8. विघालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विघालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :– स्वयं का
विघालय परिसर का क्षेत्रफल 3.68 एकड़ . निर्मित क्षेत्रफल 51600 वर्ग फीट क्रीडा परिसर का क्षेत्र 70000 वर्ग फीट कक्षाओं की संख्या 69 प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष. 06 हैं शिक्षक संख्या 70 बालक और बालिकाओं के लिए मुत्रालाय पृथक शौचालय 30+20 हैं पेयजल बोरवेल एवं नलकूप की सुविधा हैं मिड–डे मील पकाने के लिए रसोइ हॉ बाधारहित पहुंच नहीं अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता हैं।
9. विघालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जावेगी।
10. विघालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं ।
11. विघालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत् समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं ।
12. स्कूल को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हैं।
13. विघालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।
14. आपके विघालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक.– हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।
15. विघालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता हैं, जो समय–समय पर शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता हैं, जो मान्ययता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विघालय के कार्यकरणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें ।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए ।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।
18. प्रवेश शुल्क केवल एक ही बार लिया जावेगा ।
19. शाला में नार्मस के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था हों।
20. शाला में मूलभूत बुनियादि सुविधाएं,एवं अन्य भौतिक संसाधन हमेशा उपलब्ध रहें। बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
21. आर.टी.ई.के मान–एवं मानकों को बनायें तथा सुरक्षा के माप दण्डों का पालन हों। अग्निशमन यंत्र पास्को बाक्श की व्यवस्था हों ।
22. विद्यालय प्रबंध समिति,एवं पालक समिति का गठन हो एवं प्रतिमाह की 10 तारीख को बैठक सुनिश्चित हों।
23. स्कूल वाहन में शासन द्वारा जारी सभी गाईड लाइन निर्देशो का अनिवार्यतः पालन किया जावें ।
24. प्राधिकारिणीय समिति की अद्यतन प्रमाणित सूची सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।
25. शाला समय शासन निर्देशानुसार सुनिश्चित करें।
26. आर.टी.ई.के तहत् बच्चो का प्रवेश सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
कबीरधाम

पृ.क्रमांक/4271/ मान्यता/नवीन मान्यता/2026–27 कबीरधाम, दिनांक 18/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
कबीरधाम